

कारपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पेंशन पुनरीक्षण विवरण

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
1	श्री राजेन्द्र मोहन गुप्ता	अवर अभियन्ता	उरई	476	15.01.19
2	श्री भीमराम कुशवाहा	अवर अभियन्ता	वाराणसी	685	17.01.19
3	श्रीमती लेखा सिन्हा पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सिन्हा	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	686	17.01.19
4	श्री तनवीरूल हक	अवर अभियन्ता	फिरोजाबाद	673	17.01.19
5	श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी स्व० रमेश चन्द्र शर्मा	अवर अभियन्ता	मेरठ	675	17.01.19
6	श्री मदन प्रसाद	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	687	17.01.19
7	श्री कैलाश कुमार निगम	कार्यालय सहायक-प्रथम	लखनऊ	688	17.01.19
8	श्री रियाज अहमद अन्सारी	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	702	17.01.19
9	श्री रमा शंकर वर्मा	अवर अभियन्ता	देवरिया	701	17.01.19
10	श्री सरफराज अहमद फरीदी	अवर अभियन्ता	लखनऊ	464	15.01.19
11	श्रीमती गीता श्रीवास्तव पत्नी स्व० राजकुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	लखनऊ	409	14.01.19
12	श्री हरिमोहन बाजपेयी	अवर अभियन्ता	झांसी	2990	29.12.18
13	श्री हंसराज यादव	अवर अभियन्ता	अम्बेडकरनगर	455	15.01.19
14	श्री बागेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव	संगणक	बस्ती	457	15.01.19
15	श्री गंगा प्रसाद सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	419	14.01.19
16	श्री सै० अजहर सईद रिजवी	अवर अभियन्ता	बाराबंकी	456	15.01.19
17	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	722	18.01.19
18	श्री हीरालाल	अवर अभियन्ता	लखनऊ	721	18.01.19
19	श्री राजदेव यादव	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	720	18.01.19
20	श्री दिनेश प्रताप सिंह	अवर अभियन्ता	रायबरेली	719	18.01.19
21	श्री इन्द्रेण बहादुर सिंह	अवर अभियन्ता	रायबरेली	718	17.01.19
22	श्री कुंज बिहारी लाल	अवर अभियन्ता	वाराणसी	734	18.01.19
23	श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह	अवर अभियन्ता	वाराणसी	723	18.01.19
24	श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	आगरा	796	21.01.19
25	श्री जय नारायण गुप्ता	अवर अभियन्ता	उरई	713	17.01.19
26	श्रीमती रीना सेन पत्नी स्व० बी०बी० सेन	अवर अभियन्ता	वाराणसी	729	18.01.19
27	श्रीमती छाया जोशी पत्नी स्व० प्रभाकर राव जोशी	अवर अभियन्ता	कानपुर नगर	554	16.01.19
28	श्री प्रेम शंकर राय	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	714	17.01.19
29	श्री भागीरथी यादव	इ० फोरमैन	भदोही	715	17.01.19
30	श्री नमो नारायण राय	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	699	17.01.19
31	श्री देशराज सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	698	17.01.19
32	श्रीमती कान्ती पत्नी स्व० चन्द्र शेखर	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	703	17.01.19
33	श्री राम लखन द्विवेदी	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1317	02.02.19
34	श्री मदन किशोर	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1286	01.02.19
35	श्रीमती सुमन गुप्ता	कार्यालय अधीक्षक-प्रथम	लखनऊ	1328	02.02.19
36	श्रीमती विद्यावती देवी पत्नी स्व० मंगला प्रसाद श्रीवास्तव	मुख्य लिपिक	वाराणसी	1327	02.02.19
37	श्री राजवीर सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	991	25.01.19
38	श्री श्रीपति सहाय	संगणक	लखनऊ	993	25.01.19
39	श्री हरि किशन दीक्षित	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	879	22.01.19
40	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	891	22.01.19
41	श्री प्रेम सागर मित्तल	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	880	22.01.19
42	श्री श्रीराम अग्रवाल	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	855	21.01.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
43	श्री नन्दलाल सिंह	अवर अभियन्ता	महाराजगंज	853	21.01.19
44	श्री लक्ष्मण गेहानी	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	877	22.01.19
45	श्री एस0सी0 खन्ना	मुख्य सहायक	लखनऊ	874	22.01.19
46	श्री रमेश चन्द्र धीमान	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	894	23.01.19
47	श्री जगत सिंह	अवर अभियन्ता	रामपुर	892	23.01.19
48	श्री अब्दुल वहाब सिद्दीकी	अवर अभियन्ता	लखनऊ	893	22.01.19
49	श्री जमुना पाठक	अवर अभियन्ता	जौनपुर	854	21.01.19
50	श्री जगदीश नारायण रावत	मुख्य सहायक	झांसी	866	22.01.19
51	श्री अशोक कुमार त्यागी	अवर अभियन्ता	मेरठ	982	24.01.19
52	श्री राधा कृष्ण अग्रवाल	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	974	24.01.19
53	श्री सुधीर प्रकाश	अवर अभियन्ता	मेरठ	973	24.01.19
54	श्री शंकर लाल रस्तोगी	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1049	28.01.19
55	श्री शिव शरण सिंह	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	931	23.01.19
56	श्री एन0के0 गोयल	अवर अभियन्ता	मेरठ	933	23.01.19
57	श्री विष्णु देव सिंह	अवर अभियन्ता	बस्ती	935	23.01.19
58	श्री रणवीर सिंह	अवर अभियन्ता	मेरठ	936	24.01.19
59	श्री वीरेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता	बाराबंकी	882	22.01.19
60	श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी	अवर अभियन्ता	फैजाबाद	881	22.01.19
61	श्री भानु प्रकाश	कार्यालय अधीक्षक(वि0श्रे0)	लखनऊ	1029	25.01.19
62	श्री केशव प्रसाद सिंह	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	992	25.01.19
63	श्री अशोक कुमार	अवर अभियन्ता	मेरठ	1027	25.01.19
64	श्रीमती स्वर्णा साहनी	आशुलिपिक(वि0श्रे0)	लखनऊ	1028	25.01.19
65	श्री महेन्द्र कुमार पन्त	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1310	01.02.19
66	श्री विद्या सागर शुक्ला	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1320	02.02.19
67	श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व0 सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	झांसी	1279	01.02.19
68	श्री बृज बिहारी उपाध्याय	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1329	02.02.19
69	श्री लालवर्ती प्रसाद कुशवाहा	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1280	01.02.19
70	श्री अब्दुल माबूद	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1304	01.02.19
71	श्री सुबोध कुमार अत्री	अवर अभियन्ता	बरेली	1350	04.02.19
72	श्री बलिराम यादव	अवर अभियन्ता	मऊ	1346	04.02.19
73	श्री इन्द्रजीत पारासर	अवर अभियन्ता	मेरठ	1387	04.02.19
74	श्री धनप्रकाश शर्मा	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	1396	05.02.19
75	श्रीमती राम चमेली अरोडा पत्नी स्व0 पुरुषोत्तम लाल अरोडा	अवर अभियन्ता	मेरठ	1395	05.02.19
76	श्री अशोक कुमार चौहान	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1458	06.02.19
77	श्री रमेश चन्द्र भार्गव	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1352	04.02.19
78	श्री विचित्र पाल सिंह	अवर अभियन्ता	नोएडा	1386	04.02.19
79	श्री विनोद कुमार	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1383	04.02.19
80	श्री त्रिलोकीनाथ कक्कड़	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1391	05.02.19
81	श्री राम करन प्रसाद	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1388	04.02.19
82	श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी स्व0 विक्रम सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1445	06.02.19
83	श्री प्रसून कुमार अग्रवाल	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1432	05.02.19
84	श्रीमती विचित्रा गंगवार पत्नी स्व0 सुधीर सिंह गंगवार	अवर अभियन्ता	फतेहगढ़	1400	05.02.19
85	श्री गोविन्द नाथ गुप्ता	अवर अभियन्ता	हरदोई	1454	07.02.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
86	श्री जगदीश प्रसाद	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1453	07.02.19
87	श्री अब्दुल हकीम खान	अवर अभियन्ता	सुल्तानपुर	1455	07.02.19
88	श्री धनराज सिंह	अवर अभियन्ता	वाराणसी	1456	07.02.19
89	श्री कृष्ण दत्त शर्मा	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	1223	31.01.19
90	श्री राज नारायण भटनागर	अवर अभियन्ता	गजियाबाद	2583	12.12.18
91	श्री जगपाल सिंह	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	1795	16.02.19
92	श्रीमती शैलकुमारी त्रिपाठी पत्नी स्व० कलाधर प्रसाद तिवारी	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1455ए	06.02.19
93	श्री त्रिलोक नाथ शर्मा	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1441	06.02.19
94	श्री ओम प्रकाश छाबड़ा	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1393	05.02.19
95	श्री मो० हमीद अखतर राना	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1433	05.02.19
96	श्री विष्णु दत्त भट्ट	आशुलिपिक	मुरादाबाद	1431	05.02.19
97	श्रीमती सुनीता सक्सेना पत्नी स्व० हरीश चन्द्र सक्सेना	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1381	04.02.19
98	श्रीमती शोभा सक्सेना पत्नी स्व० अखिलेश कुमार सक्सेना	अवर अभियन्ता	बरेली	1380	04.02.19
99	श्री कमलाकर यादव	अवर अभियन्ता	देवरिया	1342ए	02.02.19
100	श्री माता प्रसाद श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	उन्नाव	1439	06.02.19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 476/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3000/07-08

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उरई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र मोहन गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र मोहन गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3225 दिनांक 17.04.2007
(ग) जन्मतिथि	:	02.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रोहणी गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.02.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे0पे0 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10767/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4306/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6461/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6598/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4306/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65244/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 476/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3000/07-08

दिनांक: 15.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।
3. श्री राजेन्द्र मोहन गुप्ता, से0नि0 अवर अभियन्ता, 11, वरदान विहार कालोनी, शिवपुरी रोड, झांसी।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 685/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1848/04-05

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री भीमराम कुशवाहा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री भीमराम कुशवाहा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	1943 दिनांक 03.09.2004
(ग) जन्मतिथि	01.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बेइला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.07.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	5421/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2168/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3253/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	54 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को राशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	56905/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2168/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	63382/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुकताम वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 685/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1848/04-05 दिनांक: 17.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता वेब 3040 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम वाराणसी।
3. श्री भीमराम कुशवाहा, सी०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गा०-असवरिया, पो०-कमलापुर, कदौसी।
4. सचिव 3040 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 686/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2523/06-07

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

गोरखपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती लेखा सिन्हा पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती लेखा सिन्हा पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2720 दिनांक 22.04.2006
(ग) जन्मतिथि	06.08.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लेखा सिन्हा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.08.1949
2. (क) मृत्यु तिथि	31.08.2005 / 05.02.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6402/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमान्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका राजान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो के मुतान के अनुसार शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 686/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2523/06-07

दिनांक: 17.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ

2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, गोरखपुर।

3. श्रीमती लेखा सिन्हा पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सिन्हा, सं० 01 अवर अभियन्ता, निवासी सी०ओ० श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ग्लैमर स्टूडियो, गवई का पुल, बम्शीपुर, गोरखपुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(Signature)
मुख्य अभियन्ता

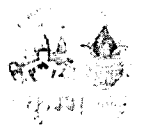
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 673/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6890/17-18

दिनांक: 17.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फिरोजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री तनवीरूल हक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री तनवीरूल हक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5950 दिनांक 13.12.2017
(ग) जन्मतिथि	22.10.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नईमा बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.08.1963
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.10.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवों वेतन
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	28570+6600=35170/-
(ङ) मूल पेंशन	17585/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	7034/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	10551/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17585
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10551/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	93000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन -

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	7034/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	39466/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	46500/- दि० 21.10.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	27900/- दि० 22.10.2021 से अग्रंत
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 673/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6890/17-18 दिनांक 17.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फिरोजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, फिरोजाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में सलमन कर प्रेषित।
4. श्री तनवीरूल हक, से०नि० अवर अभियन्ता, 117 कटरा पठानान, फिरोजाबाद।
5. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

17/1/19

सहायक

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 675/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/28/99-2000

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मेरठ।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी स्व० रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी स्व० रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	40 दिनांक 25.02.2000
(ग) जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.07.1946
2. (क) मृत्यु तिथि	01.12.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	9925/-
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	2978/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	52 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	61500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	18450/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कारपोरेशन द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 675/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/28/99-2000

दिनांक: 17.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
3. श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी स्व० रमेश चन्द्र शर्मा, र०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ए-18, राजेन्द्र पुरम, गवाना रोड, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर शेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 687/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4730/11-12

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मदन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मदन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	4451 दिनांक 07.05.2011
(ग) जन्मतिथि	30.11.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बालवन्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.11.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	६४८०० वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	49970+8900= 58870/-
(ङ) मूल पेंशन	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	152000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	76000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	76000/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	65978/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	76000/- दि० 29.11.16 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	45600/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त सिन्डु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुकतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि के उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुकतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 687/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4730/11-12
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17.01.2019

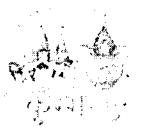
पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्री मदन प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, ग०न० 303 कौशलपूर्ण नकलें न० 1, पोस्ट, वशारतपुर, जनपद गोरखपुर उ०प्र०।
4. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 688/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6464/13-14(टी0सी0)

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कैलाश कुमार निगम, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कैलाश कुमार निगम, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	5520 दिनांक 19.12.2015
(ग) जन्मतिथि	12.10.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मृदुला रानी निगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	-
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.10.2015
(ख) तत्कालीन लागू वेतनमान	छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	28590 + 6600 = 35190 / -
(ङ) मूल पेंशन	17595 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	7038 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	10557 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17595 / -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10557 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	93000 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	46500 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550 / -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	46500 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	7038 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	39462 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	46500 / - दि० 11.10.22 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	27900 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु -4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 688/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6464/13-14(टी0सी0)

दिनांक: 17.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, 30प्र0 राज्य भार प्रेषण केंद्र, यु०पी०एस०एल०डी०सी०, परिसर, विभूति खण्ड 2, गौमती नगर लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में सलमन कर प्रेषित।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री कैलाश कुमार निगम, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, 448/245/12, नगरिया ठाकुरगंज लखनऊ।
- सचिव, 30प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

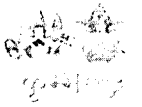
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 702/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2840/06-07

दिनांक: 17.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रियाज अहमद अन्सारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रियाज अहमद अन्सारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	3065 दिनांक 25.11.2006
(ग) जन्मतिथि	02.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सदिता बानो
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2003
(ख) तत्कालीन लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	19100/-
(ङ) मूल पेंशन	6219/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2487/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3732/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3780/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2487/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	65013/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	40500/-
	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 के अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में प्रत्येक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 702/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2840/06-07 दिनांक: 17.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता वेब 3040 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड आजमगढ़।
- श्री रियाज अहमद अन्सारी से०नि० अवर अभियन्ता, निवारी ग्राम कटघर, पो० लालगंज, आजमगढ़।
- सचिव 3040 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत

17/1/19

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 701/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1366/03-04

दिनांक: 17.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
देवरिया।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रमा शंकर वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रमा शंकर वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षित
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1433 दिनांक 12.09.2003
(ग) जन्मतिथि	01.12.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती धर्मशीला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.11.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.11.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	4937/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	1974/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	2963/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	4937/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3390/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 के संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	59319/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लागू प्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	1974/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	63576/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगलन वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 701/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1366/03-04

दिनांक: 17.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता वेब 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया।

3. श्री रमा शंकर वर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, ग०न० 141 वार्ड न०-10, निकट हरिजन छात्रावास, राम मुलाम टोला देवरिया।

4. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत:-

पंजीकृत:-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 464/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6436/15-16

दिनांक: 15.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सरफराज अहमद फरीदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सरफराज अहमद फरीदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षित
(ख) पीपीओआर संख्या एवं दिनांक	5490 दिनांक 23.11.2015
(ग) जन्मतिथि	04.06.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती फरीदा परवीन फरीदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.05.1962
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | 30.06.2015 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | छँडवा मेलनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | 9300-34800 ग्रेड पे 6600 |
| (घ) वेतन | 28560 + 6600 = 35160/- |
| (ङ) मूल पेंशन | 17580/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | 7032/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 10548/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | 17580/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 10580/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	93000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को राशिकृत पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	7032/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	39468/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	46500/- दिनांक 03.06.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	27900/- दिनांक 04.06.2022 से अग्रतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 464/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6436/15-16 दिनांक 15.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- अधिशारी अभियन्ता, वेब उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड- तृतीय, लेखा, लखनऊ।
- श्री सरफराज अहमद फरीदी, पी०पी० अवर अभियन्ता, निवासी- 119/23/14, कन्धारी बाजार, लालबाग, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -
पंजीकृत

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 409/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/858/99-2000

दिनांक: 14.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार,

लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती गीता श्रीवास्तव पत्नी स्व० राजकुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती गीता श्रीवास्तव पत्नी स्व० राजकुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	989 दिनांक 20.10.1999
(ग) जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.11.1950
(क) मृत्यु तिथि	22.12.1995
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	3400-4750
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	3500/-
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	600/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	11
(ख) निर्धारित वेतन	71800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	21540/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 409/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/858/99-2000

दिनांक: 14.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-तृतीय, लेखा लखनऊ।

3. श्रीमती गीता श्रीवास्तव पत्नी स्व० श्री राजकुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, विद्या पैलेस, न्यू नगरीय ठाकुरगंज, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

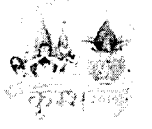
राम लहादर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2990/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4234/08-09

दिनांक: 29.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरिमोहन बाजपेयी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरिमोहन बाजपेयी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3833 दिनांक 23.08.2008
(ग) जन्मतिथि	:	26.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6913/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2765/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4148/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2765/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64678/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2990/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4234/08-09

दिनांक: 29.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, झांसी।
3. श्री हरिमोहन बाजपेयी, से०नि० अवर अभियन्ता, बी-10 आवास विकास कालोनी, नन्दनपुरा झांसी।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम कृष्ण
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 455/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5234/13-14

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अम्बेडकर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हंसराज यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हंसराज यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5117 दिनांक 27.05.2014
(ग) जन्मतिथि	24.09.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1949
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | 30.09.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | 9744/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | 3897/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 5847/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 6548/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | 60 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंमैटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	63228/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3897/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	61653/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 455/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5234/13-14
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत--

पंजीकृत--

- अधिशारी अभियन्ता, वेब 30प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर अम्बेडकर नगर।
- श्री हंसराज यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-बैरी बुजुर्ग, तहसील, आलापुर, अम्बेडकरनगर।
- सचिव, 30प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 457/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/104/2000-01

दिनांक: 15.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बस्ती।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बागेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बागेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पीपीओओ संख्या एवं दिनांक	101 दिनांक 17.05.2000
(ग) जन्मतिथि	01.01.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कलावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	4728/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	1891/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	2837/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	30546/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	30546/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	30546/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 457/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/104/2000-01 दिनांक: 15.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आदेशासी अभियन्ता, वेब 00प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बस्ती को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री बागेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, सं०नि० संगणक, निवासी-1049, मउवा नगर रोड, रउता चौराहा, बस्ती।
4. संचिव 00प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

मुख्य कोषाधिकारी (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 419/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1534/03-04

दिनांक: 14.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गंगा प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गंगा प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिद्वर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1634 दिनांक 11.02.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रामश्री देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2002
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेड पे० 8900
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 7584/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3033/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4551/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4560/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुरार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3033/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 66250/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 419/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1534/03-04 दिनांक: 14.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर।
3. श्री गंगा प्रसाद सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-23, नयी कालोनी, कासिमपुर पावर हाउस, अलीगढ़।
4. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -
पंजीकृत -

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 456/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/107/2000-01

दिनांक: 15.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बाराबंकी।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सौ अजहर सईद रिजवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सौ अजहर सईद रिजवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	105 दिनांक 19.05.2000
(ग) जन्मतिथि	28.02.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उरुसा रिजवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.05.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	28.02.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	6788/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2715/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4073/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4073/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	67500/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2715/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	67485/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 456/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/107/2000-01 दिनांक: 15.01.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता वेब 3090 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बाराबंकी।
3. श्री सौ अजहर सईद रिजवी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-8, सिविल लाइन्स, बाराबंकी।
4. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 722/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4981/12-13

दिनांक: 18.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4689 दिनांक 23.07.2012
(ग) जन्मतिथि	:	11.07.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रेखा रानी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	06.01.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रेडपे0 6600)
(घ) वेतन	:	26780+5400=32180/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16090/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6436/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9654/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16090/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9654/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6436/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	36114/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	42550/- दि० 10.07.2018 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	25530/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 722/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4981/12-13

दिनांक: 18.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, 719 अमर दीप, सुमेर सागर कालोनी गोरखपुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 721/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6244/14-15

दिनांक: 18.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हीरालाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हीरालाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5287 दिनांक 17.01.2015
(ग) जन्मतिथि	:	15.09.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रामदेवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.01.1970
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवीं वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	29240+6600=35840/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17920/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7168/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10752/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17920/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10752/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7168/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39332/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/- दि० 14.09.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 721/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6244/14-15

दिनांक: 18.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री हीरालाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 578/एस०पी०-083, शिवपुरी, 400 के०वी० सब स्टेशन रोड, सरोजनी नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 720/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6930/17-18

दिनांक: 18.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राजदेव यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राजदेव यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5995 दिनांक 09.02.18
(ग) जन्मतिथि	:	01.05.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सोमारी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.05.1955
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 6600)
(घ) वेतन	:	27230+6600=33830 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	16915 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6766 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10149 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16915 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10149 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6766 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37084 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850 /- दि० 30.04.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 720/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6930/17-18

दिनांक: 18.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
- श्री राजदेव यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-पतरा, पोस्ट-अन्जान शहीद, जनपद-आजमगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

18/1/19

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 719/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6403/15-16

दिनांक: 18.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दिनेश प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दिनेश प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5459 दिनांक 28.09.15
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती निर्मला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नही
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रेड पे 6600)
(घ) वेतन	:	29240+6600=35840/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17920/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7168/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10752/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17920/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10752/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नही
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7168/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39332/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/- दि० 31.12.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 719/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6403/15-16 दिनांक: 18.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
3. श्री दिनेश प्रताप सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, 1311/14, आचार्य द्विवेदी नगर, जेल रोड, रायबरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 718/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6359/15-16

दिनांक: 17.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री इन्द्रेश बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री इन्द्रेश बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5440 दिनांक 07.09.15
(ग) जन्मतिथि	:	06.08.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुदामा सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2013 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | (9300-34800 ग्रेड पे 6600) |
| (घ) वेतन | : | 27540+6600=34140/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17070/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6828/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10242/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17070/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10242/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमैटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6828/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38322/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150/- दि० 05.08.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 718/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6359/15-16 दिनांक: 17.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
- श्री इन्द्रेश बहादुर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, साकेत नगर(आलमपुर), लालगंज रायबरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 734/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6734/91-92

दिनांक: 18.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कुंज बिहारी लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कुंज बिहारी लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	8688 दिनांक 20.12.1991
(ग) जन्मतिथि	:	21.06.1932
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती तारा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.1990
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	3400-4750
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	3625/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1911/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	1911/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	574/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	74000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	37000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	37000/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37000/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22200/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	7400/- (दि० 21.06.12 से 20.06.17 तक 80 वर्ष आयु पूर्ण होने पर) 11,100/- (दि० 21.06.17 से 85 वर्ष आयु पूर्ण होने पर)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 734/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6734/91-92

दिनांक: 18.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम वाराणसी।
3. श्री कुंज बिहारी लाल, से०नि० अवर अभियन्ता, डी-59/295सी शिवपुरवा मुड़वाडीह, वाराणसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम लाल
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाता तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 723/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/899/99-2000

दिनांक: 18.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1036 दिनांक 17.12.1999
(ग) जन्मतिथि	:	10.01.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उत्तम देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	29.07.1944
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6950/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2780/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4170/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67500/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 723/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/899/99-2000
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 18.01.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, वाराणसी को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

4. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-प्लॉट नं०-19, चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 18.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, वाराणसी को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

4. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-प्लॉट नं०-19, चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 18.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, वाराणसी को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

4. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-प्लॉट नं०-19, चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 796/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1623/03-04

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1725 दिनांक 12.04.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.08.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राजकुमारी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7600/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3040/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4560/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	7600/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3040/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66510/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 796/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1623/03-04 दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिकन्दरा, आगरा।
3. श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी०-14 ए, इन्द्रपुरी, आगरा।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 713/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/313/2000-01

दिनांक: 17.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
उरई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जय नारायण गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जय नारायण गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	325 दिनांक 20.01.2001
(ग) जन्मतिथि	:	02.02.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शीला देवी गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	29.02.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19100/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6682/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2672/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4010/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63409/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2672/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62878/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 713/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/313/2000-01

दिनांक: 17.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।
3. श्री जय नारायण गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, ए-8 विवेकानन्द कालोनी रोड, उरई।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 729/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1183/03-04

दिनांक: 18.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

वाराणसी।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती रीना सेन पत्नी स्व० बी० बी० सेन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती रीना सेन पत्नी स्व० बी० बी० सेन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1294 दिनांक 05.06.2003
(ग) जन्मतिथि	:	02.03.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रीना सेन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	14.11.1954
(क) मृत्यु तिथि	:	31.03.2001 / 22.02.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 729/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1183/03-04

दिनांक: 18.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, वाराणसी।
3. श्रीमती रीना सेन पत्नी स्व० बी० बी० सेन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-102, राज श्री अपार्टमेंट, ब्लाक नं०-01, आशियाना, सिद्धगिरीबाग, वाराणसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 554/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/60/2000-01

दिनांक: 16.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर नगर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती छाया जोशी पत्नी स्व० प्रभाकर राव जोशी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती छाया जोशी पत्नी स्व० प्रभाकर राव जोशी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	114 दिनांक 29.05.2000
(ग) जन्मतिथि	:	01.04.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती छाया जोशी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.02.1942
(क) मृत्यु तिथि	:	31.03.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	11300/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2820/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	69200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20760/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 554/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/60/2000-01 दिनांक: 16.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, पनकी कानपुर।
- श्रीमती छाया जोशी पत्नी स्व० श्री प्रभाकर राव जोशी सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-36/80 ए०, बंगाली मोहाल, कानपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम लाल
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 714/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4266/08-09

दिनांक: 17.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रेम शंकर राय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रेम शंकर राय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3862 दिनांक 21.11.2008
(ग) जन्मतिथि	:	26.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पावित्री राय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.12.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9038/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3615/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5423/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5582/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3615/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 714/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4266/08-09

दिनांक: 17.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गोरखपुर।
3. श्री प्रेम शंकर राय, से०नि० अवर अभियन्ता, एम0आई0जी0, 11 शास्त्री नगर, पोस्ट-गोरखनाथ, गोरखपुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 715/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/903/99-2000

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
भदोही।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भागीरथी यादव, सेवानिवृत्त इ० फोरमैन की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भागीरथी यादव, सेवानिवृत्त इ० फोरमैन की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	196 दिनांक 04.09.2000
(ग) जन्मतिथि	:	12.06.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीना यादव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	14300-18300
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8700
(घ) वेतन	:	16300/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6987/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2794/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4193/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4890/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	57 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	12
(ख) निर्धारित वेतन	:	126800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	63400/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	54755/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	61550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	61550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2794/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	58756/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	38040/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 715/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/903/99-2000 दिनांक: 17.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, भदोही।
3. श्री भागीरथी यादव, सं०नि० इ० फोरमैन, निवासी-एच०आई०जी०-11, 61 बीडा कालोनी, जमुनीपुर, भदोही।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 699/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1698/04-05

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नमो नारायण राय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नमो नारायण राय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0अं० संख्या एवं दिनांक	1837 दिनांक 15.06.2004
(ग) जन्मतिथि	05.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रभा राय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.01.2004
(ख) तत्कालीन लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	7005/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2802/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4203/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4200/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन -

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2802/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	65695/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्ररतर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान प्रमाण में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 699/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1698/04-05 दिनांक 17.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता वेब 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम गोरखपुर।
3. श्री नमो नारायण राय, रो०नि० अवर अभियन्ता, निवासी: 123 बी, गोशाला कालोनी दाऊ मन्दिर, गोरखनाथ, गोरखपुर।
4. सचिव 30प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 698/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1525/03-04

दिनांक: 17.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री देशराज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री देशराज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1578 दिनांक 31.12.2003
(ग) जन्मतिथि	12.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा यादव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	5637/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2254/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3383/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3390/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2383/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाये

65117/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

40500/-

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 698/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1525/03-04 दिनांक: 17.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता वेब ३०५० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।

3. श्री देशराज सिंह, सी०ओ० अवर अभियन्ता, निवासी-मौहल्ला जहाँगीराबाद, रामघाट रोड, हरदुआगंज, अलीगढ़ 202125.

4. सचिव ३०५० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रेडर शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 703/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6893/17-18

दिनांक: 17.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती कान्ती पत्नी स्व० चन्द्र शेखर, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती कान्ती पत्नी स्व० चन्द्र शेखर, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5973 दिनांक 22.01.2018
(ग) जन्मतिथि	:	05.07.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कान्ती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	03.04.1956
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 27.11.2014(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन | : | 55120+8900=64020/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 32010/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 19206/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	166100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	83050/- दि० 04.07.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	49830/- दि० 05.07.2017 से अग्रतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 703/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6893/17-18 दिनांक: 17.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
- श्रीमती कान्ती पत्नी स्व० चन्द्र शेखर, अवर अभियन्ता, म०न०-583डब्ल्यू, चन्द्रगुप्त नगर, बशारतपुर, पो०-अरोग्य मंदिर, गोरखपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1317/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4007/07-08

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम लखन द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम लखन द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3347 दिनांक 17.08.2007
(ग) जन्मतिथि	12.08.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.08.2006
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37900-67000 ग्रे०पे० 8900
 (घ) वेतन : 47970+8900=56870/-
 (ङ) मूल पेंशन : 10813/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 4325/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 6488/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6840/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 147600/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 73800/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 73800/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 4325/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 69475/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 44280/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1317/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4007/07-08

दिनांक: 02.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम प्रयागराज।
4. श्री राम लखन द्विवेदी, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-मुरली का पुरवा, पो० महमदपुर, जिला- प्रतापगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1286/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4638/10-11

दिनांक: 01.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मदन किशोर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मदन किशोर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5094 दिनांक 04.04.2014
(ग) जन्मतिथि	:	07.12.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गीता गौतम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	43930 + 8900 = 52830/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	59528/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1286/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5638/10-11 दिनांक: 01.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री मदन किशोर, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सी-10, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1328/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5215/13-14

दिनांक: 02.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुमन गुप्ता, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुमन गुप्ता, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4957 दिनांक 30.08.2013
(ग) जन्मतिथि	:	17.04.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्री राजेश चन्द्र गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	18.02.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	26540 + 6600 = 33140/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16570/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6628/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9942/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16570/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9942/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6628/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37222/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/- दिनांक 16.04.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/- दिनांक 17.04.2020 से अग्रतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1328/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5215/13-14 दिनांक: 02.02.19
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ
- श्रीमती सुमन गुप्ता, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम, निवासी-5/639, विकास नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1327/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/514/97-98

दिनांक: 02.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,
वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती विद्यावती देवी पत्नी स्व० मंगला प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती विद्यावती देवी पत्नी स्व० मंगला प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	353 दिनांक 07.02.2001
(ग) जन्मतिथि	:	08.10.1938
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विद्यावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	25.06.1943
2. (क) मृत्यु तिथि	:	31.10.1996
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	9650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2820/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	61300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	18390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1327/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/514/97-98

दिनांक: 02.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

3. मुख्य महाप्रबन्धक (विविध-अनुभाग), अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा, सोनभद्र, को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

4. श्रीमती विद्यावती देवी पत्नी स्व० मंगला प्रसाद श्रीवास्तव, से०नि० मुख्य लिपिक, निवासी-डी-59/201 ए-04, योगनगर, शिवपुरवा, वाराणसी।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

नाम उपाधुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 991/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3063/07-08

दिनांक: 25.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3295 दिनांक 12.07.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मुन्नी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँटवा मेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे0 8900
(घ) वेतन	:	44700 + 8900 = 53600/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9987/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3994/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5993/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6109/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6370/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63180/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 991/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3063/07-08 दिनांक: 25.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. श्री राजवीर सिंह, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-19/299 सी०, बापू नगर, निकट एस0बी0आई0 कॉलोनी, महेन्द्र नगर, अलीगढ़।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 993/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2372/05-06

दिनांक: 25.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री श्रीपति सहाय, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री श्रीपति सहाय, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2581 दिनांक 16.12.2005
(ग) जन्मतिथि	:	05.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरस्वती श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.02.1955
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	10750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4500/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1800/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2700/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2910/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1800/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31800/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 993/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2372/05-06 दिनांक: 25.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-तृतीय, लेसा लखनऊ।
3. श्री श्रीपति सहाय, से०नि० अवर अभियन्ता, सरस्वती बिहार जयराजपुरी, सरोजनी नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(Signature)

(Signature)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 879/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6806/17-18

दिनांक: 22.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरि किशन दीक्षित, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरि किशन दीक्षित, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5910 दिनांक 25.09.2017
(ग) जन्मतिथि	:	20.07.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उषा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.01.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	29630+6600=36230/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18115/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7246/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10869/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18115/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	7246/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7246/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40654/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47900/- दि० 19.07.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740/- दि० 20.07.2022 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 879/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6806/17-18 दिनांक: 22.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, 132 के०वी० उपकेन्द्र लाल कुआँ, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
4. श्री हरि किशन दीक्षित, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 87/88, विष्णु एन्क्लेव, हापुड रोड, गाजियाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज लखनऊ
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 891/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3075/07-08

दिनांक: 22.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3332 दिनांक 08.08.2007
(ग) जन्मतिथि	:	08.08.2007
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पूर्णिमा अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.04.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1049/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4199/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6401/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4199/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65351/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 891/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3075/07-08 दिनांक: 22.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परिचालन खण्ड द, परि० एवं अनुरक्षण मण्डल-प्रथम, तापीय परियाजना, अनपरा, सोनभद्र को सेवापुरितका मुलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

4. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डी-20, दिव्य नगर, गोरखपुर।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राज बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 880/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4437/09-10

दिनांक: 22.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रेम सागर मित्तल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रेम सागर मित्तल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4067 दिनांक 08.01.2010
(ग) जन्मतिथि	:	10.05.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रेखा मित्तल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.07.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.05.2009
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेडपे0 8900
 (घ) वेतन : 51440+8900=60340/-
 (ङ) मूल पेंशन : 24325/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 9730/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 14595/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 14595/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 156600/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 78300/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 78300/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 9730/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 68570/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 46980/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 880/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4437/09-10 दिनांक: 22.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि०, विक्टोरिया पार्क मेरठ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
4. श्री प्रेम सागर मित्तल, सं०नि० अवर अभियन्ता, आर 3/6 राज नगर, गाजियाबाद।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (होशियर)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

(Handwritten signature)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 855/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/379/01-02

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्रीराम अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्रीराम अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	416 दिनांक 30.04.2001
(ग) जन्मतिथि	:	13.07.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राजकुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2000 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेडपे0 8900 |
| (घ) वेतन | : | 19550/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 6365/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2546/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3819/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3878/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2546/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67004/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 855/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/379/01-02 दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि त्रिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
- श्री श्रीराम अग्रवाल, से0नि० अवर अभियन्ता, राज श्री सदन-2 महादेव नगर निकट-तरंग टाकीज गोरखपुर।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 853/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2908/06-07

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
महाराजगंज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नन्दलाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नन्दलाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3153 दिनांक 25.01.2007
(ग) जन्मतिथि	:	05.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सलहन्ता देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2006
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (16400-20000)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रेडपे0 8900)
 (घ) वेतन : 44700+8900 = 53600
 (ङ) मूल पेंशन : 10252/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 4100/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 6152/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6548/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 44 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6438/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 63112/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 853/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2908/06-07 दिनांक: 21.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, महाराजगंज को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, महाराजगंज,
4. श्री नन्दलाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम- सुम्हाखोर, पो०- कारिनीन, बाया-कप्तानगंज, जिला-कुशीनगर।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 877 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 675 / 98-99

दिनांक: 22.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मण गेहनी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री लक्ष्मण गेहनी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	794 दिनांक 03.10.1998
(ग) जन्मतिथि	:	21.01.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रेनू गेहनी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	2412/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	804/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	1608/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	734/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67500/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 877 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 675 / 98-99 दिनांक: 22.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री लक्ष्मण गेहनी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी/25, आवास विकास कालोनी, सुरज कुण्ड, गोरखपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 874/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6444/89-90

दिनांक: 22.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री एस० सी० खन्ना, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री एस० सी० खन्ना, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन के प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०३० संख्या एवं दिनांक	:	134 दिनांक 28.11.1994
(ग) जन्मतिथि	:	22.06.1931
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सितारा रानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.1989
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	1650-2690
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ) वेतन	:	2540/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1350/-
(च) पेंशन के राशि कृत भाग	:	450/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	900/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	564/-
(ण) पेंशन में 3-छमाही सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	6 ए
(ख) निर्धारित वेतन	:	52400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	26200/-
(ख) पेंशन हेतु आर्द्धकरी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	18400/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	26200/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	26200/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	15720/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन आयु के अनुसार	:	7860/- दिनांक 21.06.2016 से अग्रेतर पेंशन

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 874/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6444/89-90 दिनांक: 22.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण मण्डल-द्वितीय, गोमती नगर, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. श्री एस० सी० खन्ना, से०नि० मुख्य सहायक, निवासी-सी-40, से०-ए, महानगर, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लेमेंटेशन ग्रुप, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 894/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2291/05-06

दिनांक: 23.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र धीमन्, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र धीमन्, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2517 दिनांक 08.11.2005
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शिमला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4531/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1812/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2719/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2910/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	32078/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	32073/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2728/-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 894/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2291/05-06 दिनांक: 23.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, सहारनपुर।
3. श्री रमेश चन्द्र धीमन् से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-2/1406/70, नवीन नगर, नियर दुर्गा-मन्दिर, सहारनपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम पंडा

लेखाधिकारी-पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 892/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6176/14-15

दिनांक: 23.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रामपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगत सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगत सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5203 दिनांक 23.09.2014
(ग) जन्मतिथि	:	10.12.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राम देई
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	24350 + 6600 = 30950/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15475/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6190/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9285/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	15475/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9285/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6190/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33910/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	40100/- दिनांक 09.12.2018 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/- दिनांक 10.12.2018 से अग्रतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 892/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6176/14-15 दिनांक: 23.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रामपुर।
- श्री जगत सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-रेलवे स्टेशन रोड, नई बस्ती, राजा का सहसपुर, तहसील-बिलारी, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 893/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1257/03-04

दिनांक: 22.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अब्दुल वहाब सिद्दीकी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अब्दुल वहाब सिद्दीकी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3271 दिनांक 25.06.2007
(ग) जन्मतिथि	:	08.09.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमर जहाँ
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	19100/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6349/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2539/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3810/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3878/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2539/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64961/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 893/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1257/03-04 दिनांक: 22.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-तृतीय, लेसा लखनऊ।
3. श्री अब्दुल वहाब सिद्दीकी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सुम्बाबाग, लखनऊ रोड सण्डीला, हरदोई।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

सचिव

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 854/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4369/09-10

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
जौनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जमुना पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जमुना पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3980 दिनांक 07.09.2009
(ग) जन्मतिथि	:	10.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	19100/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8812/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3524/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3524/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	5288/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64432/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3524/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62026/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 854/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4369/09-10

दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।
3. श्री जमुना पाठक, सं०नि० अवर अभियन्ता, 335 वशिष्ठ कुण्ड, कजियाना अयोध्या।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राजेश कुमार
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 866/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/225/96-97(टी0सी0)

दिनांक: 22.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण रावत, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण रावत, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	648 दिनांक 24.12.2001
(ग) जन्मतिथि	:	01.10.1936
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रामलली रावत
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.09.1938
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.1994
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	1850-2930
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे0पे0 4200
(घ) वेतन	:	2855/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1493/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	497/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	996/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	598/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	6(बी)
(ख) निर्धारित वेतन	:	57300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	28650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	18400/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	28650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	497/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	28153/-
--------------------------------------	---	---------

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
------------------------------------	---	-----------

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	17190/-
------------------------------------	---	---------

(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	5730/- दि० 30.09.2016 से
------------------------------------	---	--------------------------

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 866/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/225/96-97 दिनांक: 22.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, झांसी।
3. श्री जगदीश नारायण रावत, से०नि० अव० अभियन्ता, 399/1सी०पी० कम्पाउण्ड सिविल लाइन्स, झांसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छाता तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 982/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6520/16-17

दिनांक: 24.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5622 दिनांक 03.06.2016
(ग) जन्मतिथि	:	31.03.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेडपे0 6600
(घ) वेतन	:	27530+6600=34130/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17065/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6826/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10239/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6826/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38324/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 982/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6520/16-17 दिनांक: 24.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री अशोक कुमार त्यागी, से०नि० अवर अभियन्ता, 215, इन्द्रा कालोनी सासवत रोड मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(Signature)

राम कानूरी

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 974/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2440/05-06

दिनांक: 24.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	2653 दिनांक 28.02.2006
(ग) जन्मतिथि	:	02.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेड पे 8900
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 7485/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2994/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4491/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : लागू नहीं
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 65 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 68497/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 68497/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2994/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 65503/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : लागू नहीं
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 974/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2440/05-06

दिनांक: 24.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री राधा कृष्ण अग्रवाल सं० नि० अवर अभियन्ता, 49-लक्ष्मी बिहार कालोनी, मालीबाड़ा, गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 973/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1081/02-03

दिनांक: 24.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सुधीर प्रकाश, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सुधीर प्रकाश, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1108 दिनांक 10.02.2003
(ग) जन्मतिथि	:	21.02.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5037/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2014/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3023/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	60341/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2014/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63536/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 973/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1081/02-03

दिनांक: 24.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री सुधीर प्रकाश से०नि० अवर अभियन्ता, द्वारा श्री सतीश चन्द्र रस्तोगी के०-1/1228 शास्त्री नगर, मेरठ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1049/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2793/06-07

दिनांक: 28.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शंकर लाल रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शंकर लाल रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3154 दिनांक 25.01.2007
(ग) जन्मतिथि	:	30.09.2004
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मिथलेश रस्तोगी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.05.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9788/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3915/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5873/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6548/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63228/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3915/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	61635/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1049/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2793/06-07 दिनांक: 28.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
3. श्री शंकर लाल रस्तोगी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-कपील विहार, निकट गीता पम्प, सहारनपुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइड ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 931/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6041/13-14

दिनांक: 23.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शिव शरण सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शिव शरण सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5071 दिनांक 25.02.2014
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँठवां मैनतमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	:	20060 + 6600 = 26660/-
(ङ) मूल पेंशन	:	13330/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	13330/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	69200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	34600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	34600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34600/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 931/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6041/13-14 दिनांक: 23.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
3. श्री शिव शरण सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-सिरसा, पो०-चिरैयाकोट, आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर 23/1/19
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 933/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1945/04-05

दिनांक: 23.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

मेरठ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री एन० के० गोयल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री एन० के० गोयल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिर्वषता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2375 दिनांक 14.07.2005
(ग) जन्मतिथि	:	16.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुधारानी गोयल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.08.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5649/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2259/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3390/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4073/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	56 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	59013/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2259/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63291/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 933/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1945/04-05 दिनांक: 23.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री एन० के० गोयल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-15, जगन्नाथपुरी, टी०पी० नगर, दिल्ली रोड, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 935/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6338/15-16

दिनांक: 23.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बस्ती।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विष्णु देव सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विष्णु देव सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5396 दिनांक 08.07.2015
(ग) जन्मतिथि	:	07.01.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गीता सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1961
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँटवा मेटनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4200
(घ) वेतन	:	17480 + 4200 = 21680 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	10840 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4336 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6504 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	10840 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6504 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	06
(ख) निर्धारित वेतन	:	57300 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	28650 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	18400 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	28650 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4336 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	24314 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	28650 /- दिनांक 06.01.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	17190 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 935/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6338/15-16 दिनांक: 23.01.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बस्ती को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बस्ती।
4. श्री विष्णु देव सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-पदमापुर, पो०-गोविन्दपारा, बस्ती।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

23/1/19
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 936/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4063/07-08

दिनांक: 24.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मेरठ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रणवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रणवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3401 दिनांक 16.10.2007
(ग) जन्मतिथि	:	15.08.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँठवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	47970 + 8900 = 56870/-
(ङ) मूल पेंशन	:	11400/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4560/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6840/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	147600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	73800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	73800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7402/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66398/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 936/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4063/07-08 दिनांक: 24.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री रणवीर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-204, प्रभातनगर, मेरठ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम लाल दूर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 882/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2518/05-06(टी०सी०)

दिनांक: 22.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बाराबंकी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2724 दिनांक 22.04.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती केसराजी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	10200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6347/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2178/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4169/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4590/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	63300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	31650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	29732/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	29732/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2178/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	27554/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	18990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 882/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2518/05-06(टी०सी०) दिनांक: 22.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, शुक्ला कालोनी, देवा रोड, बाराबंकी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी-पेंशन (हाइड्रिल)

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 881/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/980/02-03

दिनांक: 22.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1056 दिनांक 15.01.2003
(ग) जन्मतिथि	:	05.06.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमलेश त्रिपाठी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6169/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2467/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3702/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4073/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64281/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2467/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63083/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 881/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/980/02-03 दिनांक: 22.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
3. श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 5/17/34/2 शक्ति नगर कालोनी देवकाली, फैजाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1029/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6177/14-15

दिनांक: 25.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री भानु प्रकाश, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक (वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री भानु प्रकाश, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक (वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5219 दिनांक 09.10.2014
(ग) जन्मतिथि	:	16.06.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अंजली श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	17.09.1960
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	29470 + 6600 = 36070/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18035/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7214/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10821/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18035/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10821/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7214/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39286/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/- दिनांक 15.06.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/- दिनांक 16.06.2022 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1029/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6177/14-15 दिनांक: 25.01.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. श्री भानु प्रकाश, से०नि० कार्यालय अधीक्षक (वि०श्रे०), निवासी-499/193, गोकर्ण नाथ, मिश्रा पार्क रोड, हसनगंज, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 992/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6029/13-14

दिनांक: 25.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री केशव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री केशव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5059 दिनांक 07.02.2014
(ग) जन्मतिथि	:	30.06.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती हीरावती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6024/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67500/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 992/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6029/13-14 दिनांक: 25.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. श्री केशव प्रसाद सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न०: 439बी/3 के, इन्दिरा नगर, बक्शीखुर्द, दारागंज, प्रयागराज।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम चन्द्र

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1027 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4346 / 09-10

दिनांक: 25.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3957 दिनांक 23.07.2009
(ग) जन्मतिथि	:	12.02.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बृजबाला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1957
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 28.02.2009 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छँठवां मैनतमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 57440 + 8900 = 60340 /- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 11925 /- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 4770 /- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7155 /- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 7155 /- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600 /-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68570 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1027 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4346 / 09-10 दिनांक: 25.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री अशोक कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-20, बलवन्त नगर, सेन्द्रल बैंक के पीछे, मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1028/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4869/11-12

दिनांक: 25.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णा साहनी, सेवानिवृत्त आशुलिपिक (वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णा साहनी, सेवानिवृत्त आशुलिपिक (वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4582 दिनांक 21.01.2012
(ग) जन्मतिथि	:	15.11.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्री सुभाष साहनी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.03.1949
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.11.2011 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 15600-39100 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 32470 + 6600 = 39070 |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 19535/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7814/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 11721/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 19535/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 11721/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	102500/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	51250/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	51250/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7814/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	43436/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	51250/- दिनांक 14.11.2018 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	30750/- दिनांक 15.11.2018 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1028/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4869/11-12 दिनांक: 25.01.2019
प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, (आपरे०), शक्ति भवन, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्रीमती स्वर्णा साहनी, से०नि० आशुलिपिक (वि०श्रे०), निवासी-बी-2/4, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1310/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1986/04-05

दिनांक: 01.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री महेन्द्र कुमार पन्त, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री महेन्द्र कुमार पन्त, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2084 दिनांक 31.12.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.10.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बीना पन्त
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.02.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6447/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2578/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3869/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3878/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3868/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	:	65682/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (आयु के अनुसार)	:	41730/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1310/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1986/04-05 दिनांक: 01.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री महेन्द्र कुमार पन्त, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-शान्ति सदन, पाण्डे टोला, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1320/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6483/15-16

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विद्या सागर शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विद्या सागर शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5592 दिनांक 23.05.2016
(ग) जन्मतिथि	:	24.11.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इन्दू शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.11.2014 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवों वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 29240 + 6600 = 35840/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17920/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7168/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10752/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17920/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10752/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7168/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39332/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1320/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6483/15-16 दिनांक: 02.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
- श्री विद्या सागर शुक्ला, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-386 के, आजाद नगर, पूर्वी, पो०-शिषपुरी, नयी कालोनी, गोरखपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम कड़ाहर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

०२-०२-१९

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1279/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4167/07-08

दिनांक: 01.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,
झाँसी।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3764 दिनांक 06.06.2008
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मंजू गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	26.12.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) ऐमैटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1279/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4167/07-08

दिनांक: 01.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतार एवं लेखा खण्ड, झाँसी।

3. श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ई०-42, हाइडिल कालोनी, सि०ला०, झाँसी।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1329/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5164/13-14

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बृज बिहारी उपाध्याय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बृज बिहारी उपाध्याय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 4908 दिनांक 17.06.2013
(ग) जन्मतिथि	: 14.02.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती शान्ती उपाध्याय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 29.02.2012
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ मेटनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
 (घ) वेतन : 57040 + 8900 = 65940/-
 (ङ) मूल पेंशन : 29435/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 11174/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 17661/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 29435/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 17661/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमैटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 171100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 85550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 85550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 11774/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 73776/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 85550/- दिनांक 13.02.2019 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 51330/- दिनांक 14.02.2019 से अग्रेतर
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1329/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5164/13-14 दिनांक: 02.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्री बृज बिहारी उपाध्याय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-71, शान्ती सदन, मंदरसा रोड, सिधारीपुर, सुरजकुण्ड, गोरखनाथ थाना, तिवाड़ीपुर, गोरखपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०) (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1280/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6209/14-15

दिनांक: 01.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री लालवर्ती प्रसाद कुशवाहा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री लालवर्ती प्रसाद कुशवाहा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5282 दिनांक 30.12.2014
(ग) जन्मतिथि	:	06.03.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती धर्मावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	51440 + 8900 = 60340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25025/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10010/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15015/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15015/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10010/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1280/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6209/14-15 दिनांक: 01.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री लालवर्ती प्रसाद कुशवाहा, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-81/41ए/15/3, तिलक नगर, अल्लापुर, प्रयागराज।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1304/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5006/12-13

दिनांक: 01.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अब्दुल माबूद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अब्दुल माबूद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4721 दिनांक 10.09.2012
(ग) जन्मतिथि	:	14.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मुईना फारूकी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.02.1954
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2012 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छैठवा वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 34110 + 6600 = 40710/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 20355/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 8142/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 12213/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 20255/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 12213/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	104800/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	52400/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	52400/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	8142/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	44258/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	52400/- दिनांक 13.07.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	31440/- दिनांक 14.07.2019 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1304/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5006/12-13 दिनांक: 01.02.19
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), शक्ति भवन, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन लखनऊ।
- श्री अब्दुल माबूद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-36 ए, खुर्रम नगर, गार्डन, विकास नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

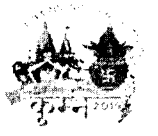
पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1350/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6373/15-16

दिनांक: 04.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुबोध कुमार अत्री, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुबोध कुमार अत्री, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5424 दिनांक 18.08.2015
(ग) जन्मतिथि	:	24.01.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती दर्शन अत्री
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.03.1962
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे0 8900
(घ) वेतन	:	63180 + 8900 = 72080 /--
(ङ) मूल पेंशन	:	36040 /--
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	14416 /--
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	21624 /--
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	36040 /--
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	21624 /--
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	186900 /--

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	93450 /--
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /--
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगन्ध होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	93450 /--
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	14416 /--
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	79034 /--
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	93450 /-- दिनांक 23.01.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	56070 /--
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1350/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6373/15-16 दिनांक: 04.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
3. श्री सुबोध कुमार अत्री, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-डी0-101, गुलमोहर पार्क, के0के0 अस्पताल रोड, राजेन्द्र नगर, बरेली।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1346/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6309/15-16

दिनांक: 04.07.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बलिराम यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बलिराम यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5357 दिनांक 29.05.2015
(ग) जन्मतिथि	:	01.09.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इसरावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2013 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवां वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रेडपे 6600 |
| (घ) वेतन | : | 27540 + 6600 = 34140/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17070/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6828/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10242/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17070/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10242/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमैटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6828/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38322/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150/- दिनांक 31.08.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

गवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1346/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6309/15-16
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 04.07.2019

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मऊ।
- श्री बलिराम यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सहवाजपुर, पो०-ऊचागाँव, जिला-आजमगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1387/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4125/07-08

दिनांक: 04.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
हाथरस मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री इन्द्रजीत पारासर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री इन्द्रजीत पारासर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3483 दिनांक 19.02.2008
(ग) जन्मतिथि	:	18.09.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शुक्ला पारासर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	06.06.1966
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	30.09.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	:	19190+5400=24590/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7269/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2907/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4362/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4455/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	63300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	31650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	31650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2907/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	28743/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	18990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1387/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4125/07-08

दिनांक: 04.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री इन्द्रजीत पारासर, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 7/32 पहाड़ी गेट हरियाना, जिला-होशियार, पंजाब।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

सह सहायक
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1396/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1869/04-05

दिनांक: 05.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धनप्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धनप्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1958 दिनांक 22.09.2004
(ग) जन्मतिथि	:	02.03.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5751/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3451/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63409/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2300/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63250/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1396/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1869/04-05 दिनांक: 05.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
3. श्री धनप्रकाश शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, 18 बर्मा पार्क गांधी कालोनी, लेन न०-9 मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बलरुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1395/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/323/2000-01

दिनांक: 05.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती राम चमेली अरोडा पत्नी स्व० पुरुषोत्तम लाल अरोडा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती राम चमेली अरोडा पत्नी स्व० पुरुषोत्तम लाल अरोडा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	342 दिनांक 31.01.2001
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राम चमेली अरोडा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	18.08.1947
2. (क) मृत्यु तिथि	:	03.08.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3780/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1395/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/323/2000-01
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 05.02.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्रीमती राम चमेली अरोडा पत्नी स्व० पुरुषोत्तम लाल अरोडा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एल-103, शास्त्री नगर, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1458 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6161 / 14-15

दिनांक: 06.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार चौहान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार चौहान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5215 दिनांक 01.10.2014
(ग) जन्मतिथि	:	09.02.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पुष्पा चौहान
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.09.1956
(क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	28.02.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	24250+6600=30850 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	15425 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6170 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9255 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	15425 / -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9255 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6170 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33930 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	40100 / - दि० 08.02.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060 / - दि० 09.02.2021 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1458 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6161 / 14-15
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 06.02.2019

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री अशोक कुमार चौहान, से०नि० अवर अभियन्ता, 1648, सेक्टर-5 वसुन्धरा, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम गडादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1352/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/123/2000-01

दिनांक: 04.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र भार्गव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र भार्गव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	125 दिनांक 13.06.2000
(ग) जन्मतिथि	:	09.11.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रचना भार्गव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नही
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे0 5400
(घ) वेतन	:	10475/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4882/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1952/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2930/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3143/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	65200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	32600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नही
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	32600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नही
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32600/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	19560/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1352/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/123/2000-01 दिनांक: 04.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-द्वितीय, ताप विद्युत गृह, कासिमपुर, अलीगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर, अलीगढ़।
4. श्री रमेश चन्द्र भार्गव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-5/128, न्यू अशोक नगर कालोनी, वाटर वर्क्स के पीछे, अलीगढ़।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1386/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5271/13-14

दिनांक: 04.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
नोएडा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विचित्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विचित्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4998 दिनांक 13.12.2013
(ग) जन्मतिथि	:	17.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विद्यावती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँटवा मेंतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	47970 + 8900 = 56870 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	24325 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	9730 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	18705 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	14595 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	147600 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	73800 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	73800 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64070 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	44280 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1386/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5271/13-14 दिनांक: 04.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।
3. श्री विचित्र पाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-790 साठा, बुलन्दशहर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम झाड़ुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1383/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6899/17-18

दिनांक: 04.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5969 दिनांक 16.01.2018
(ग) जन्मतिथि	:	07.07.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.07.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	28530 + 660 = 35130/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17565/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7026/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10539/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17565/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10539/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7026/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38124/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150/- दिनांक 06.07.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1383/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6899/17-18 दिनांक: 04.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. श्री विनोद कुमार, से०पि० अवर अभियन्ता, निवासी-752, मालवीय नगर, प्रयागराज।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

सम तहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1391/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/660/01-02

दिनांक: 05.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री त्रिलोकीनाथ कक्कड, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री त्रिलोकीनाथ कक्कड, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	699 दिनांक 16.02.2002
(ग) जन्मतिथि	:	10.05.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रभा कक्कड
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.06.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6137/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2454/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3683/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	58 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	61120/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2454/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1391/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/660/01-02 दिनांक: 05.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लेसा, लखनऊ।
3. श्री त्रिलोकीनाथ कक्कड, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-108, रवीन्द्र गार्डन, से०-ई, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1388/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6286/15-16

दिनांक: 04.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम करन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम करन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिदर्वता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5335 दिनांक 09.04.2015
(ग) जन्मतिथि	:	16.07.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बर्फी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँढवा मेंतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	28190 + 6600 = 34790 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	17395 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6958 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10437 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17395 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10437 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6958 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38192 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150 /- दिनांक 15.07.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1388/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6286/15-16 दिनांक: 04.02.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
- श्री राम करन प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम०-पुष्कर बुजुर्ग, पो०-महेमापार, गोरखपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



संख्या: 1445/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2322/05-06

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी स्व० विक्रम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी स्व० विक्रम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5942 दिनांक 18.11.2017
(ग) जन्मतिथि	:	25.11.1958
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमलेश सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	25.11.1958
2. (क) मृत्यु तिथि	:	26.09.2012
3. (ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	33770/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16885/- दि० 25.09.2022 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10131/- दि० 26.09.2022 से अग्रेतर
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

4. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

5. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/- दि० 25.09.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/- दि० 26.09.2022 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

6. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1445/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6872/17-18

दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।

3. श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी स्व० विक्रम सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, 19/151, दुर्गानगर, सासनीगेट अलीगढ़।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम महादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1432/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6824/17-18

दिनांक: 05.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रसून कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रसून कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5894 दिनांक 26.08.2017
(ग) जन्मतिथि	:	11.11.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पूनम अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	28.07.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	29620 + 6600 = 36220/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18110/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7244/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10866/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18110/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10866/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7244/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40656/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47900/- दिनांक 10.11.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1432/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6824/17-18 दिनांक: 05.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. श्री प्रसून कुमार अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-797, सी० दरियाबाद, प्रयागराज।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1400 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6435 / 15-16

दिनांक: 05.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

फतेहगढ़।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती विचित्रा गंगवार पत्नी स्व० सुधीर सिंह गंगवार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती विचित्रा गंगवार पत्नी स्व० सुधीर सिंह गंगवार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5544 दिनांक 28.01.2016
(ग) जन्मतिथि	:	30.12.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विचित्रा गंगवार
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.02.1962
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.12.2013 / 20.11.2016
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	:	28190 + 6600 = 34790 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	17395
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6958 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10437 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17395 / -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10437 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 / -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6958 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38192 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150 / - दिनांक 29.12.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090 / - दिनांक 30.12.2020 से
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1400 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6435 / 15-16
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 05.02.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फतेहगढ़।

3. श्रीमती विचित्रा गंगवार पत्नी स्व० सुधीर सिंह गंगवार, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-31. ग्रा० व पो-बरझाला, कायमगंज, फर्रुखाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1454/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5218/13-14

दिनांक: 07.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

हरदोई।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोविन्द नाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोविन्द नाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4949 दिनांक 12.08.2013
(ग) जन्मतिथि	:	25.11.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पुष्पा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8947/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3578/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5369/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5524/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3578/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64919/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि में उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1454/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5218/13-14 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, हरदोई।
3. श्री गोविन्द नाथ गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, मोहन भवन, आलूथोक हरदोई।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

तलबत



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1453/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5096/12-13

दिनांक: 07.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

गोरखपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	4836 दिनांक 22.03.2013
(ग) जन्मतिथि	:	04.11.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गायत्री
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	25570+6600=32170/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16085/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6434/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9651/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16085/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9651/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को राशिकृत पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6434/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	9651/- 36116 रु
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	42550/- दि० 03.11.2018 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	25530/- दि० 04.11.2018 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा राशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1453/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5096/12-13 दिनांक: 07.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, पेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्री जगदीश प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, इरगाइल पुर, सदर, गोरखपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

सम रहस्य

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1455/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/715/01-02

दिनांक: 07.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सुल्तानपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अब्दुल हकीम खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अब्दुल हकीम खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	740 दिनांक 23.03.2002
(ग) जन्मतिथि	:	04.01.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मजलूम निशा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6950/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2780/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4170/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2780/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66770/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1455/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/715/01-02 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सुल्तानपुर।
3. श्री अब्दुल हकीम खान, से०नि० अवर अभियन्ता, 338, खैराबाद सुल्तानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर राक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

सम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

07.02.2019



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1456/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6000/13-14

दिनांक: 07.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धनराज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धनराज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5036 दिनांक 20.01.2014
(ग) जन्मतिथि	:	25.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती लीलावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	27750 + 6600 = 34350 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	16885 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	16885 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10131 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका राज्ञान न लिया जाये	:	45150 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850 /- दि० 24.07.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1456/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6000/13-14 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्री धनराज सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-जमुहार, तहसील-बुनार, जिला-गिर्जापुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--
पंजीकृत--

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1223/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4019/07-08

दिनांक: 31.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कृष्ण दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कृष्ण दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3358 दिनांक 01.09.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.05.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राज कुमारी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.03.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	39100-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	47440 + 8900 = 56340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10450/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4180/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6270/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6401/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	147600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	73800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	73800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4180/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	69620/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	44280/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1223/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4019/07-08 दिनांक: 31.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।

4. श्री कृष्ण दत्त शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, हाल्लू सराय, बहजोई रोड सम्मेल, पुरा

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2583/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1305/03-04

दिनांक: 12.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राज नारायण भटनागर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राज नारायण भटनागर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1365 दिनांक 05.08.2003
(ग) जन्मतिथि	:	02.02.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मिथलेश भटनागर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.01.1944
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 28.02.2003 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 11025/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 5485/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2194/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3191/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3308/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2194/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31406/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2583/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1305/03-04
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 12.12.2018

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, 33 के०वी०, सबस्टेशन, नन्द ग्राम, गाजियाबाद।
- श्री राज नारायण भटनागर, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- के०जे०-73, कविनगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1795/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4307/09-10

दिनांक: 16.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जगपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जगपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3920 दिनांक 24.04.2009
(ग) जन्मतिथि	:	01.03.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुधा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.01.1950
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9565/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3826/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5739/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6109/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3826/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	61724/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1795/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4307/09-10 दिनांक: 16.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. श्री जगपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-225, उत्तरी गान्धी कालोनी, निकट-वैष्णव देवी मन्दिर, मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1455/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/930/02-03
मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

दिनांक: 06.02.2019

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शैलकुमारी पत्नी स्व० कलाधर प्रसाद तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शैल कुमारी पत्नी स्व० कलाधर प्रसाद तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	972 दिनांक 27.09.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शैल कुमारी त्रिपाठी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.11.1958
2. (क) मृत्यु तिथि	:	30.06.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1455/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/930/02-03 दिनांक: 06.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, देब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्रीमती शैलकुमारी त्रिपाठी पत्नी स्व० कलाधर प्रसाद तिवारी, से०नि० अवर अभियन्ता, 57के०, शिवपुर सहबाजगंज, गोरखपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1441/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2713/06-07

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री त्रिलोक नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री त्रिलोक नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिर्वर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2931 दिनांक 26.08.2006
(ग) जन्मतिथि	:	07.12.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रमा शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	04.07.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9865/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3946/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5919/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5963/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3946/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65604/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1441/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2713/06-07 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री त्रिलोक नाथ शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-52, कैलाशपुरी, आलमबाग, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1393 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 716 / 01-02

दिनांक: 05.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश छाबड़ा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश छाबड़ा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	745 दिनांक 01.04.2002
(ग) जन्मतिथि	:	26.02.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रतिमा छाबड़ा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	28.07.1947
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	28.02.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7535/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3014/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4521/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3014/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66536/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1393 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6432 / 15-16 दिनांक: 05.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, देव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण खण्ड-द्वितीय, गोमती नगर, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. श्री ओम प्रकाश छाबड़ा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवारी-डी०-4/01, पेपर मिल कालोनी, निशान्तगंज, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1433/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4966/12-13

दिनांक: 05.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मो० हमीद अखतर राना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मो० हमीद अखतर राना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4672 दिनांक 11.07.2012
(ग) जन्मतिथि	:	29.10.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आरिफा बानो
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.06.1957
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँठवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे० 5400
(घ) वेतन	:	25570 + 540 = 30970/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15485/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6194/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9291/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9291/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6194/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	33906/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	24060/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1433/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4966/12-13 दिनांक: 05.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मोहदीपुर, गोरखपुर।
3. श्री मो० हमीद अखतर राना, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-लतीफ नगर कालोनी, पादरी बाजार, गोरखपुर-273014.
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1431/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/815/99-2000

दिनांक: 05.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विष्णु दत्त भट्ट, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विष्णु दत्त भट्ट, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	950 दिनांक 20.08.1999
(ग) जन्मतिथि	:	12.06.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती दमयन्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	21.07.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	12275/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2080/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3120/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	76200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	38100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	38100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38100/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22860/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1431/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/815/99-2000 दिनांक: 05.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
3. श्री विष्णु दत्त भट्ट, से०नि० आशुलिपिक, निवासी-2/596-97, बुद्धि विहार आवास विकास कालोनी, मुरादाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

सम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1381/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/869/02-03

दिनांक: 04.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता सक्सेना पत्नी स्व० हरीश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता सक्सेना पत्नी स्व० हरीश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3840 दिनांक 01.09.2008
(ग) जन्मतिथि	:	21.06.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुनीता सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	03.11.1953
2. (क) मृत्यु तिथि	:	28.02.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3585/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1381/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/869/02-03

दिनांक: 04.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रहीम नगर, लखनऊ।
3. श्रीमती सुनीता सक्सेना पत्नी स्व० हरीश चन्द्र सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, एम०एग०-312, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

रमेश महादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1380/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5198/13-14

दिनांक: 04.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

बरेली।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शोभा सक्सेना पत्नी स्व० अखिलेश कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शोभा सक्सेना पत्नी स्व० अखिलेश कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4928 दिनांक 08.07.2013
(ग) जन्मतिथि	:	16.04.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शोभा सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	26.10.1956
2. (क) मृत्यु तिथि	:	30.04.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	26540+6600=33140 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	16570 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6628 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9942 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16570 / -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9942 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6628 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37222 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850 / - दि० 15.04.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310 / - दि० 16.04.2020 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1380/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5198/13-14

दिनांक: 04.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
3. श्रीमती शोभा सक्सेना पत्नी स्व० अखिलेश कुमार सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, 17/2 लीवर कालोनी, सी०वी०गंज, कलवन्टर, बरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम साहू
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1342 ए/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2749/06-07

दिनांक: 02.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
देवरिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कमलाकर यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कमलाकर यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3008 दिनांक 10.10.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कलावती दती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	13.05.1945
- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.12.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेड पे0 8900 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 10027/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 4010/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6017/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6109/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 65 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4010/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64487/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1342 ए/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2749/06-07

दिनांक: 02.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, देव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया।
- श्री कमलाकर यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-18/288 उमानगर देवरिया।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम महादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1439/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/451/01-02

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

उन्नाव।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री माता प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री माता प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	475 दिनांक 29.06.2001
(ग) जन्मतिथि	:	01.02.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमलेश श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	17.04.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4480/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1792/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2688/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3225/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	55 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	56250/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1792/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63758/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1439/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/451/01-02 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव।
3. श्री माता प्रसाद श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सी-110, आवास विकास कालोनी, उन्नाव।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)